भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3352
जिसका उत्तर शुक्रवार, 05 अगस्त, 2022 को दिया जाना है

सरकारी वकीलों का शुल्क

+3352. श्री विष्णु दयाल राम :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यायालयों में केंद्र सरकार / राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को विधिवत फीस का भुगतान करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में वर्तमान में कानूनी शुल्क की प्रस्तावित दर कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को भुगतान की गई कानूनी शुल्क की कुल राशि न्यायालय-वार और मामला-वार कितनी है;

(ग) क्या सरकार का सरकारी वकीलों की फीस से संबंधित मौजूदा मानदंडों में संशोधन करने और न्यायालयों में केंद्र और राज्यों के सभी मंत्रालयों/विभागों के मामलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक एकीकृत कानूनी प्रकोष्ठ गठित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, समय-समय पर, माननीय उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के समक्ष भारत संघ की ओर से उपस्थित होने वाले अधिवक्ताओं/परामर्शिओं की फीस का भुगतान करने के संबंध में अनुदेश जारी करता है । ये अनुदेश विधि कार्य विभाग की वेबसाइट अर्थात legalaffairs.gov.in-->>Judicial Section-->Circulars pertaining to litigation --> Revision of fee payable to various categories of central Government Counsel पर उपलब्ध हैं ।

(ख) : विभाग के बजट से वकीलों को संदत्त फीस का समेकित डाटा जो विभिन्न न्यायालयों पर मामलों के संचालन में केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधत्व करते है निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	कुल व्यय
2019-20	रु. 64,46,62,000/-
2020-21	रु. 54,14,56,000/-
2021-22	रु. 52,94,71,000/-
2022-23 (02.08.2022 को)	रु. 14,47,07,000/-

तथापि, केन्द्रीय सरकार द्‌वारा न्यायालय और मामला-वार उपगत विधिक व्यय के लिए कोई आंकड़े नहीं रखे जाते है ।

(ग) : ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(घ) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

****